

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1972/फाल्गुन 12, 1893

No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1972 PHALGUNA, 12 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd March 1972

SUBJECT:—Import Policy for Registered Exports for the period April, 1971—
March, 1972 (Amendment No. 68).

No. 38-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for registered exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April 1971—March 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971.

2. The following amendment may be made at the appropriate place as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
253	No. 3 Col. 2	The existing entry may be amended to read as under:— “Non-fabric cotton textile items (other than greys) both mill-made and handloom, including tyre cord fabrics in which cotton yarn has been used in the weft or warp.”

3 Consequent to the above amendment, the entry “Non-fabric cotton textile items (other than greys) both mill made and handloom” appearing on page LXXX of the Index of the above Red Book may be amended to read as “Non-fabric cotton textile items (other than greys) both mill-made and handloom, including tyre cord fabrics in which cotton yarn has been used in the weft or warp.”

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

विषय—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972— वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सख्या—68)

सख्या 38/आई०टी०सी०(पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44—आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत, अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के बा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जायें :—

रेडबुक (बा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
253	एन० 3 कालम 2 ^a	वर्तमान प्रविष्टि को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “नान-फैब्रिक मृत्ती वस्त्र की मदे (भूरे को छोड़कर) दोनों मिल निमित तथा हाथ करषा जिन में वे टायर कोई फैब्रिक मामिल हैं जिनमें वेफ्ट या बार्प में सूती धागे का प्रयोग किया गया है।”

3. उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप, प्रश्लिष्ट “नान-फैब्रिक सूती वस्त्र की मर्चे (भूरे को छोड़ कर) दोनों मिल निर्मित तथा हाथ करघा जो उपर्युक्त रेडबुक के सूचक के पृष्ठ 80 पर प्रदर्शित है, उन्हें संशोधित कर “नान-फैब्रिक सूती वस्त्र की मर्चे (भूरे को छोड़कर) दोनों मिल निर्मित तथा हाथ करघा जिन में बे टायर कोर्ड फैब्रिक जिन में वेफ्ट या वार्प में सूती धागे का उपयोग नहीं किया गया है” पढ़ा जाए।

एम०एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

ERRATUM

In the Ministry of Foreign Trade Resolution No. 1(1)-Tar/71, dated 10th the December, 1971 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I—Section 1, dated 10th December, 1971 (pages 2419 to 2425), Issue No. 211, the following corrections are to be made:—

Page 2419—

- (a) In line 6, for the word “for” read “to”.
- (b) In line 9, for the word “Ooluminium” read “Aluminium”.

